

प्रेषक,

सी०बी० पालीवाल
प्रमुख सचिव,
उन्नून शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उन्नून, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2013

विषय : वित्तीय वर्ष 2012—13 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना” योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या—37 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—2753 / 10 / छ: / विविध / रामपुर / 12—13, दिनांक 31.01.2013 व पत्र संख्या—2754 / 10 / छ: / विविध / रामपुर / 12—13, दिनांक 31.01.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि “शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना” योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012—13 में अनुदान संख्या—37 से जनपद—रामपुर की विभिन्न मलिन बस्तियों की इण्टरलाकिंग व अन्य सामान्य सुविधाओं से सम्बन्धित कार्यों हेतु रु 641.22 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष बजट में प्राविधिक धनराशि में से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ—5 में अंकित कुल धनराशि रु 256.48 लाख (रु 2 दो करोड़ छप्पन लाख अड्डतालिस हजार मात्र) प्रथम किश्त (40 प्रतिशत) के रूप में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(धनराशि लाख रु० में)

क्रमांक	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम	कार्यों का विवरण	स्वीकृत योग्य धनराशि
1	2	3	4	5
1.	रामपुर	रामपुर	नगरीय अल्पसंख्यक बाहुल्य/अन्य बस्तियों में सड़क एवं नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धी प्रस्ताव।	126.45
2	तदैव	तदैव	तदैव	72.64
3	तदैव	तदैव	दस्तकारी हाट हेतु रामपुर बरेली रोड पर प्रवेश द्वारा, एप्रोच रोड एवं ट्रांसमिशन लाइन का कार्य।	57.39
	योग			256.48

- उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा—निर्देश विषयक शासनादेश संख्या—32 / 69—1—13—14(31) / 2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा—निर्देश / व्यवस्था का पूर्णांपण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित राज्यानीय निवासियों को मिल सके।
- उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित ढूड़ा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित ढूड़ा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5000 1000 256.48 267.06 4732.47 2 -

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्य वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते/पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगा। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेग।
10. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
11. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
12. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "४२१७-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-०४-गंदी बस्तियों का विकास-०५-निर्माण-०३-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी०सी० रोड/इंटरलाकिंग तथा नारी आदि का निर्माण-३५-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सूजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-८-१४६७/दस-२०१३, दिनांक 31 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सी०सी० पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या—२३१(१)/६९-१-२०१३-६(एससीपी)/२०१३, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रामपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-८) अनुभाग, उ०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, उ०प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

अप्ज्ञा से,

(आर०पी० सिंह)
उप सचिव।